

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 189] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 22, 1978/भाद्र 31, 1900
No. 189] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 22, 1978/BHADRA 31, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

मासिक सूचना सं० 64/78-ईटीसी(पी एन)/78

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1978

निर्यात व्यापार नियंत्रण

विषय — भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश सरकार को 2 करोड़ रुपए में
गए पण्य वस्तु ऋण के मद्दे निर्यात।

मि० सं० 5/28/77-ई० I वाणिज्य विभाग की मासिक सूचना
(पी एन)/78 दिनांक 16 जनवरी, 1978 की ओर ध्यान दिलाया जाता

647 GI/78

(1011)

2. उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना के पैरा 3 में यह व्यवस्था की गई थी कि उक्त पण्य वस्तु ऋण के अन्तर्गत संविदा पर हस्ताक्षर करने और अनुराशि निकालने की अंतिम तिथि क्रमशः 31 मार्च, 1978 और 30 जून, 1978 होगी। मामले की पुनरीक्षा की गई है और संविदा पर हस्ताक्षर करने की तिथि को 31-12-1978 तक और उक्त पण्य वस्तु ऋण के अन्तर्गत अनुराशि निकालने की अंतिम तिथि को 30-6-79 तक बढ़ाने का निर्णय किया गया है।

का० व० शेषाद्री, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION
(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE NO. 64/78-ETC(PN)/78

New Delhi, the 22nd September, 1978

EXPORT TRADE CONTROL

Sub : Export against Commodity Grant of Rs. 20 Million extended by the Government of India to the Government of Bangladesh.

F. No. 5/28/77-ETC.—Attention is invited to the Department of Commerce Public Notice No. 3-ETC (PN)/78 dated the 16th January, 1978.

2 In paragraph 3 of the aforesaid Public Notice, it was provided that the last date for signing of contracts and for drawal of funds under the said Commodity Grant will be 31st March, 1978 and 30th June, 1978 respectively. The matter has been reviewed, and it has been decided to extend the last date for signing of contracts upto 31-12-1978 and the last date for drawal of funds under the Commodity Grant upto 30-6-1979.

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports.